



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27012023-243245
CG-MH-E-27012023-243245

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410]
No. 410]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/ माघ 5, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/ MAGHA 5, 1944

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 24 जनवरी, 2023

का.आ. 424(अ).—केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 18 जुलाई 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का.आ. 3213(अ), तारीख 18 जुलाई 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के राजकोट जिले में राजकोट-कानालुस ब्रॉड गेज इकहरी लाईन का दोहरीकरण परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिये अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र 'गुजरात समाचार और टाइम्स ऑफ इंडिया' में दिनांक 29.07.2022 को उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था।

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20अ की उप-धारा (i) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20अ की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि यहां संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण उपर्युक्त उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

और इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 20अ की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी भारों से मुक्त होकर केंद्र सरकार में निहित होगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के जामनगर जिले में प्रस्तावित राजकोट-कानालुस ब्रॉडगेज इकहरी लाईन खंड के दोहरीकरण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

राज्य: गुजरात

जिला : राजकोट

क्रम संख्या	सर्वेक्षण सं.	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	भूमि मालिक/इच्छुक व्यक्ति का नाम
तालुका : पडधरी					
गाँव : जोधपर					
1	185	कृषि	निजी	738.31	जयंती भाई बच्चू भाई
2	186	कृषि	निजी	411.00	भरत भाई बच्चू भाई
3	187	कृषि	निजी	550.00	भरत भाई बच्चू भाई
4	188	कृषि	निजी	3295.62	प्रफुल्लबा रंजीत सिंह जडेजा
कुल				4994.93	
तालुका: पडधरी					
गाँव: मोवैया					
1	671	कृषि	निजी	292.46	नारन भाई अर्जन भाई परमार हीरा बेन गगजी भाई परमार हेमू भाई गगजी भाई परमार अजय भाई गगजी भाई परमार विजय भाई गगजी भाई परमार
कुल				292.46	

[फा. सं. E Office E-369802-1]

फतेह सिंह मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक-II (निर्माण), अहमदाबाद

MINISTRY OF RAILWAYS

[(Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 24th January, 2023

S.O. 424(E).—Whereas by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 3213 (E), dated 18th July, 2022 published in Gazette of India Extraordinary. Part II, section-3, Sub-section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, has declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely, Rajkot-Kanalus doubling of Broad Gauge single line in District Jamnagar in the State of Gujarat;

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper 'Gujarat Samachar and Times of India' on 29/07/2022 under sub section (4) of section 20A of the said Act, and whereas, Objections have been received and disallowed by the Competent Authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub section (2) of section 20 E of the said Act, The Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
Rajkot Kanalus doubling of Broad-Gauge single line in the state of Gujarat**

State: Gujarat

District: Rajkot

S. No.	Survey No.	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be acquired (in sqm)	Name of Land Owner /interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluka : Paddhari					
Village : Jodhpar					
1	185	Agriculture	Private	738.31	Jayanti Bhai Bachu Bhai
2	186	Agriculture	Private	411.00	Bharat Bhai Bachu Bhai
3	187	Agriculture	Private	550.00	Bharat Bhai Bachu Bhai
4	188	Agriculture	Private	3295.62	PrafulBa Ranjit Sinh Jadeja
Total				4994.93	
Taluka : Paddhari					
Village : Movaiya					
1	671	Agriculture	Private	292.46	Naran Bhai Arjan Bhai Parmar Hira Ben Gagji Bhai Parmar Hemu Bhai Gagji Bhai Parmar Ajay Bhai Gagji Bhai Parmar Vijay Bhai Gagji Bhai Parmar
Total				292.46	

[F. No. E Office E- 369802-1]

FATEH SINGH MEENA, Chief Project Manager-II (Cons.), Ahmedabad